कायालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2014 / एफसीए / प्रमुवसं / बारा रोड्स / 3842 दिनांकः 31/10/17

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल, केन्द्रीयभवन, सेक्टर–एच,
अलीगंज, लखनऊ –226024 (उ0प्र0)

विषयः–जिला बारां में नाबार्ड से पोषित आर.आई.डी.एफ. 19 विलेज कनेक्टिविटी के अन्तर्गत गोरधनपुरा से घट्टा बी.टी. मार्ग के निर्माण हेतु 2.22 है0 संरक्षित वनभूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्ष के पातन की अनुमति हेतु। (प्रस्ताव संख्याँ FP/RJ/ROAD/ 6982/ 2014)

संदर्भः–आपके कार्यालय का पत्र सं. 8 बी / राज / 06 / 20 / 2015 / एफसी / 1388 दिनांक 5.2.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तो की पालना रिपोर्ट अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने अपने पत्रांक 7647 दिनांक 12.10.17 (प्रति संलग्न) तथा उप वन संरक्षक, कोटा ने अपने पत्रांक 8834–36 दि. 30.6.17 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्ते	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त सं. 1 के तहत वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.22 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 286713/– (2.22 है0 @ Rs. 129150 प्रति/है0) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जावेगा तथा इस भूमि को 6 माह में आरक्षित/रक्षित वनभूमि घोषित किया जावेगा। भूमि का नामांतरण/ हस्तांतरण करने के बाद इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी की जावेगी।	शर्त सं. 2 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.22 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 323954/– दि. 10.10.16 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करवा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण में यूजर एजेंसी द्वारा 2.22 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबंदी की नकल एवं नामांतरण की प्रति संलग्न है।

–PTO

3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 13.89 लाख (2.22 है0 @ Rs. 6.26 लाख प्रति/है0) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त सं. 3 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007– एफसी दि. 5.2.09 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि रूपये (2.22 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति/है0) की दर से राशि रूपये 1389720/– दि. 10.10.16 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करवा दी गई है। प्रति संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त सं. 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होने पर बढी हुई धनराशि के भुगतान को जमा कराने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रति संलग्न है।
5.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सं. 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनक्षेत्र में 4 फीट उंचे आरसीसी पिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रति संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं. 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना बनाकर उप वन संरक्षक कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रति संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई. आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सैंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16.11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रति संलग्न है।

8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	शर्त सं. 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना हेतु वचनबद्धता प्रमाण दिया गया है। प्रति संलग्न है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः उक्त प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उक्तानुसार ।

भवदीय,

(ए.के. सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय–01412713759, मो.नं. 9414059146

क्रमांकः एफ14( )2014 / एफसीए / प्रमुवसं / बारा रोड्स / दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कोटा संभाग, कोटा।
3. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहबाद, जिला बारां।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

6982/2014

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

कमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2014–15/ 7647 दिनांक :– 12/10/17

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर

विषय :– बारां जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवायी जा रही 8 सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:– उप वन संरक्षक बारां का पत्र संख्या 11302 दिनांक 11.10.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक बारां के प्रासंगिक पत्र से निम्नांकित 8 सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना प्रस्तुत की है।

क्र0सं0	सड़क का नाम	हैक्टर
1	करवरीखुर्द से बामनदेह	4.20
2	एन.एच.76 से धुआ	2.55
3	कदीली से लाटखेड़ा	2.79
4	माधोपुरा से जैतपुरा	3.60
5	गोवरधनपुरा से घटटा	2.22
6	केदारकुई से सिलोरा	3.90
7	गरड़ा से जेसुआ	3.98
8	ख्यावदा से हरिपुरा	2.00

उपरोक्त क्र.सं. 1, 3, 5, 6, व 7 मे सीए की राशि 1,55,000 (वर्तमान दर) से जमा नही है यूजर ऐजेन्सी द्वारा भविष्य में नियमानुसार राशि जमा कराने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है। उप वन संरक्षक बारां द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना एक वर्ष पश्चात भिजवाये जाने के संबंध में प्रासंगिक पत्र से मौके की स्थिति पूर्वानुसार ही बतायी है। अतः उपरोक्त सड़कों की पालना दो सेट में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार अनुपालना 2 सेट्स में।

भवदीय

(इन्द्राज सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2014–15/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक बारां को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहबाद।

(इन्द्राज सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा

C:\Users\ashok\Desktop\Anil Saxena\F.C.A\Letters\Letters 2015.doc
603

FCA
आ.रा. 12/10/2017

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 11302 दिनांक :- 11/10/17

निमित्तः-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- सडक परियोजना में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तो की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक एफ 13(वन संरक्षण)/संमुवसं/ 2014-15/ 7541 दिनांक 09.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 8 सडक परियोजनाओं में भारत स. द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना में निम्नानुसार आक्षेप की पूर्ति कर पुनः प्रेषित है।

1. सडक परियोजना 1- करवरी खुर्द से बामनदेह, 3- कदीली से लाटखेडा, 7- गरडा से जैसवा एवं 6- केदारकुई से सिलोरा 5-गोरधनपुरा से घटटा, 2-एन.एच. 76 से धुंआ, 4-मोधापुरा से जेतपुरा एवं 8- ख्यावदा से हरिपुरा सडको के लिए आपके पत्र क्रमांक 5991 दिनांक 27.07.2017 से लगाये गये आक्षेप की पूर्ति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9437-1952 दिनांक 19.07.2017 से कर दी गई है। जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। इन पत्रो के क्रम में प्रासंगिक पत्र के क्रम में उत्तर भेज दिये गये है।
2. पूर्व मे इस कार्यालय के पत्राक 9437-52 दिनांक 19/7/17 से श्रीमान को प्रेषित कि गई थी जिस छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।
3. प्रकरणो की स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने हेतु यूजर एजें. द्वारा प्रत्युतर प्रस्ततु किया गया है जो संलग्न हैं तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये निरीक्षण की की वस्तुस्थिति पूर्वानुसार ही है।
4. प्रकरणे मे क्षतिपूती वृक्षारोपण कि दरो मे वृद्वि होने के कारण अंतर राशि जमा कराने हेतु यूजर द्वारा अन्डरटेकिंग प्रस्तुत कि गई है जो संलग्न है।
5. सडको के प्रकरणो में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 6 की पालना मे यूजर एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल के सम्बन्ध मे प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार कार्य के दोरान किसी प्रकार क मक इकट्ठा नही होगा (प्रत्युतर प्रति संलग्न है।)
6. नक्शो पर एवं प्रस्ताव के साथ सभी प्रत्रावली पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
7. 12 कॉलम के प्रपत्र प्रकरणवार कर सूचना पूर्व प्रेषित कर दी गयी है।

अतः आक्षेप पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

भवदीय

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

संलग्न :- प्रस्ताव 3 सेट में।

D:\FCA LAtter 2015-16\fca letter 2017-18.docx

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18/ दिनांक :-

निमित्तः-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- जनपद बारन में नाबार्ड से पोषित आर.आई.डी.एफ.-19 वीसी योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/Road/6982/2014) गोरधनपुरा से घट्टा तक बी.टी. मार्ग के निर्माण हेतु 2.22 हेक्टर संरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र क्रमांक 08-बी/राज/ 06/20/2015/ एफ.सी./1388 दिनांक 05.02.2016 एवं आपका पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 29.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की गई है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। जमाबन्दी की नकल नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.22 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रूपये 286713/- (2.22 है0 @ Rs. 129150 प्रति है0) केम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 3.90 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.22 हैक्टेयर X 145925/- रू. प्रति हैक्टेयर की दर से 323954/- रू. दिनांक 10.10.2016 को ऑन लाईन केम्पा मद में जर्ये ई-चालान जमा करा दिये गये है प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रूपये- 13.89 लाख (2.22 है @ Rs. 6.26 लाख प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 3 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रि पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्ग आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार व पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05 02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसा शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारि राशि रू. (2.22 ha x Rs 6.26 Lack Pe ha.) की दर से राशि रूपये 1389720 केम्पा मद में दिनांक 10.10.2016 को ऑ लाईन जमा करवा दी गई है। प्रति संलग्न है

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बडी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर. सी.सी. पीलरो से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Bacgword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में 4 फिट ऊचें आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकार द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि आई.आर. सी. के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा बीच में यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17–18/ 8834-38 दिनांक :– 30/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत, बारां।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

Annexure II

NAME OF DIVISION :- BARAN

Name of Proposal :- गोरधनपुरा से घटटा सडक

S.No.	Information	Details
1	Name of the User Agency	X.E.N. PWD Shahabad
	Name of the Project	गोरधनपुरा से घटटा सडक FP/RJ/Road/6982/2014
2	Location of Forest area diverted	-
	State	Rajasthan
	District	Baran
	Taluka	Shahabad
	Village	गोरधनपुरा, जैतपुरा, घट्टा
	Log/Lat details if available	N. 24°59.32.43" E. 76° 48. 28.27"
3	Extent of forest area applied for diversion	2.22 ha.
4	Extent of forest area approved for diversion	2.22 ha.
5	State Govt. reference No. & date under which the proposal was forwarded (copy to be attached)	7/9/2014
6	No. date of Stage I clearence (copy to be attached)	1391/ 04-12-2015 प्रति संलग्न
7	No. date of Stage II clearence (copy to be attached)	अप्राप्त
8	Details of compensatory Afforestation funds viz.	-
(i)	Compensatory Afforestation Fund	Rs. 323954/-
(ii)	Additional Compensatory Afforestation Fund	0/-
(iii)	Penal Compensatory Afforestation Fund	0/-
(iv)	Catchment Area Treatment Plan Fund	0/-
(v)	Fund for Protected Area	0/-
(vi)	Net Present Value	Rs. 1389720/-
(vii)	Any other charges levied (please specify)	Nil
	Total of (i) to (vii)	**Rs. 1713674/-**

9	Date of collection of funds as in SI No. 7 above with	-
(i)	Authority by whom collected	कार्पोरेशन बैंक केम्पा फण्ड नई दिल्ली
(ii)	Bank Draft/Cheque No. & Date	कार्पोरेशन बैंक चालान जनरेट दिनांक 01.03.2016 ट्राजेक्शन दिनांक 10.10.2016
	RTGS/NEFT No.	दिनांक 01.03.2016
	Bank in which drawn	कार्पोरेशन बैंक
	Name in whose favour the instrument was drawn	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर
(iii)	Date of remittance to Govt. account	दिनांक 01.03.2016
	Account No.	कार्पोरेशन बैंक SB01025225 लोदी रोड नई दिल्ली
	Name of Bank and branch	कार्पोरेशन बैंक
10	Details of remittance of funds as in Cols 7 & 8 above to CAMPA	चालान ट्राजेक्शन दिनांक 10.10.2016 से सी.ए. राशि 323954/– एवं एन.पी.वी. राशि 1389720/– कुल राशि 1713674/– कार्पोरेशन बैंक मे जमा
(i)	Authority by whom remitted	X.E.N. PWD Shahabad
(ii)	Name of Bank and branch to which remitted	कार्पोरेशन बैंक
(iii)	Mode of remittance (Draft/Pay Order/RTGS)	चालान
	Amount remitted	1713674
	Date of remittance	10/10/2016
11	Out of the remittances as indicated in Col. 10 above head wise funds towards principal funds collected and interest thereon remitted to the centre.	चालान ट्राजेक्शन दिनांक 10.10.2016 से सी.ए. राशि 323954/– एवं एन.पी.वी. राशि 1389720/– कुल राशि 1713674/– कार्पोरेशन बैंक मे जमा
	CA	Rs. 323954/-
	ACA	0/-
	PCA	0/-
	CAT	0/-
	Others	Nil
	Interest occurred	Nil
12	Any other details	Nil

Signature
DFO/DCF

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

क्रमांक : 532 दिनांक : 30-8-17

श्रीमान उपवन संरक्षक,
बारां।

विषयः– जनपद बारां में नाबार्ड से पोषित आर.आई.डी.एफ.–19 वीसी योजना के तहत गोर्धनपुरा से धट्टा तक बी.टी. मार्ग के निर्माण हेतु 2.22 है. संरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु ।

संदर्भ :– प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6982/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में 2.22 है. हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र क्रमांक सं.8 बी/राज/06/20/2015/एफ.सी./1388 दिनांक 05.02.16 द्वारा जारी की गई। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेशित हैं–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।
2. शर्त सं. 2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 323954/– दिनांक 10.10.2016 को जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है।)

   वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.22 है. भूमि का जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ4(5)(30)राजस्व/2014/720–26 दिनांक 07.02.2017 द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है। (प्रति संलग्न है)
3. शर्त सं. 3 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. 1389720/–दिनांक 10.10.2016 को जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है)
4. एन.पी.वी. की दरों बढोतरी होने पर बढी हुई राशि का भुगतान निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा।
5. शर्त सं. 5 के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी।
6. शर्त सं. 6 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना बनाकर उपवन संरक्षक से स्वीकृत कराकर सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जावेगी।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में आवश्यक वृक्षारोपण कर दिया जावेगा।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 के अनुसार प्रयोगता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी ।

अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड, शाहबाद जिला बांरा

क्रमांक :–   दिनांक :– 10.10.2017

श्रीमान् उप वन संरक्षक
बांरा।

विषय :– जनपद बांरा में आर.आई.डी.एफ. वीसी योजना के तहत गोरधनपुरा से गट्टा सड़क निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित सड़क की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 5.2.2016 को जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालना यथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमि का जिला कलेक्टर बांरा द्वारा आंवटन होना, विभाग द्वारा मॉग पत्र जारी होने व उसके सत्यापन के पश्चात् राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो कर भुगतान होने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण ही अनुपालना प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है। वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रेषित है।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा० नि० वि० खण्ड, शाहबाद जिला बांरा

क्रमांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :– 10.10.2017

अभिलिखित सहमति (अण्डरटेकिग)

कार्य का नाम :– BT Road from Gordhanpura to Ghatta
(Proposal No.FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Hect.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सड़क भराव (Embankment) में बनाई जायेगी, कटिंग का कोई कार्य प्रस्तावित नही है। इसलिए सड़क निर्माण के दौरान किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। अतः मक डिस्पोजल की कोई आवश्यकता नही होगी।

C.S
राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Gmail chief conservator of forest <ccf.fca.rajasthan@gmail.com>

Email Alert of CL Payment

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in> Mon, Oct 10, 2016 at 4:47 PM
To: ccf.fca.rajasthan@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in, igfc-mef@nic.in, campa-payment.mef@gov.in, sandeep.sharma76@gov.in, goimoefrolko@gmail.com, ccf.fca.rajasthan@gmail.com, yogendradak@gmail.com

Transaction Acknowledgement

This is to inform that the following payment has been made by **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** .

Proposal No	FP/RJ/ROAD/6982/2014
Application No	ROAD69822014401
Proposal Name	Road from Gordhanpura to Ghatta
Category	Road
Submission Date	07 Sep 2014
Area Applied	2.22
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	SBBJ116284030295
Transaction Date	10 Oct 2016
Payment Amount(in Rs.)	1713674/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	Corporation Bank (Challan)

Funds Demand Details		
Compensatory Afforestation	:	Rs. 323954/-
Additional Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	:	Rs. 0/-
Safety Zone	:	Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	:	Rs. 0/-
Net Present Value	:	Rs. 1389720/-
Total Amount	:	Rs. 1713674/-

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 01-03-2016

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD69822014401
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwd_shahabad@rediffmail.com 9414442171 7460-262300
Amount(in Rs)	1713674/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words Seventeen Lakh Thirteen Thousand Six Hundred and Seventy Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) * | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-NODE Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 01-03-2016

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD69822014401
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwd_shahabad@rediffmail.com 9414442171 7460-262300
Amount(in Rs)	1713674/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words Seventeen Lakh Thirteen Thousand Six Hundred and Seventy Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 01-03-2016

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD69822014401
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwd_shahabad@rediffmail.com 9414442171 7460-262300
Amount(in Rs)	1713674/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words Seventeen Lakh Thirteen Thousand Six Hundred and Seventy Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

					Charge : 0/ Total : 1991550/-		Date : 31 Mar 2017	
7	FP/RJ/ROAD /6993/2014 Road from Lakdai to Mamli via Durjanpura	ROAD69932014203	11369932014203	18 Mar 2015	CA: 5736240/- , Addl CA : 232200/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 582180/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6550620/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Jan 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 12 Jan 2017 Transaction Date : 18 Jan 2017	Demand Letter Generated Challan
8	FP/RJ/ROAD /6955/2014 Road Work from Kadeeli to Lathkhera	ROAD69552014658	11369552014658	05 Feb 2016	CA: 407131/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1746540/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2153671/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 10 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan
9	FP/RJ/ROAD /6982/2014 Road from Gordhanpura to Ghatta	ROAD69822014401	11369822014401	05 Feb 2016	CA: 323954/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1389720/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1713674/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 10 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan
10	FP/RJ/ROAD /6985/2014 Road from Karwari Khurd to Baman Deh	ROAD69852014435	11369852014435	11 Feb 2016	CA: 612885/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2629200/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3242085/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 10 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan
11	FP/RJ/ROAD /6991/2014 Garda to Jaiswan	ROAD69912014204	11369912014204	11 Feb 2016	CA: 580782/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2491480/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3072262/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 10 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan
12	FP/RJ/ROAD /6998/2014 Road from Uni-Kedarkui road Km. 6/400 to Silora	ROAD69982014569	11369982014569	11 Feb 2016	CA: 569108/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2441400/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3010508/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 10 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 720–26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

–: आदेश :–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5614–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14–15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

Sd/
(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 720–26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

जिला कलक्टर
बारां

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

F:\I.Khan Rev-Assistant\Allotment\5- Rule-1963 other Allotment.doc

- 1834

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on__11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव		
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	1.50	
				योग	2.60	
	New Cases				**4.10**	
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा		
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सडक	3 .00	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	13.58	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	0.61	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	3.20	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावड़ा	4.00	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	7.50	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	4.00	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से धुआं	2.50	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	2.60	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	0.55	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगवां	4.00	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	5.20	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	3.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	1.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	3.00	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	0.50	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन	2.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	1.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	7.00	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	2.50	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	0.80	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	3.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	2.00	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	4.20	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	1.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	3.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	4.00	
					3.25	

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	. 1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	**98.24**	
				कुल योग	**102.34**	

(सुनिल माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा0नि0वि0 वृत बॉरा

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September__2014\Forest\Copy of forest_information__17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 237 दिनांक : 10.6.17

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Ghatta RIDF-XIX (VC)
(Proposal No. FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

Offic Letter New__18

e

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 937 दिनांक : 10.6.17

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **BT Road From Gordhanpura to Ghatta RIDF-XIX (VC)**
(Proposal No. FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाऐगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक **Backword and Forward bearing** एवं अपने निकटवर्त्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 237 दिनांक : 10.6.17

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **BT Road From Gordhanpura to Ghatta RIDF-XIX (VC)**
(Proposal No. FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उपवन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करा कर उपवन संरक्षक (केन्द्रीय) के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायेगा।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

e

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 237 दिनांक : 10.6.17

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Ghatta RIDF-XIX (VC)
(Proposal No. FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 237 दिनांक : 10.6.17

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **BT Road From Gordhanpura to Ghatta RIDF-XIX (VC)**
(Proposal No. FP/RJ/Road/6982/2014 (2.22 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	**62.24**

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी ओमप्रकाश मीणा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

उपरोक्त भूमि का विभाग को सुपुर्द

1 हल्का पटवारी पटवारी 6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप बन संरक्षक
बारॉं

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 नाका प्रभारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा़ँ

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा़ँ

FCA letter 18-4-17

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	**1 किता**	**2.25**

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक नरेन्द्र (नरेन्द्र शर्मा (व.र.))

2 नाका प्रभारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी 6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

FCA letter 18-4-17

प्रपत्र सं. पी. 26 (ए)
(देखिये नियम 132)

कोड–6 क्र : 2380748

केवल नकल उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम [illegible] पटवार क्षेत्र [illegible] क्षेत्र भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 20[illegible] से 20[illegible] तक

खाता (खतौनी) संख्या नयी	पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृत्ति का स्वरुप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई का स्त्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत्......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	सिवायचक [illegible] ([illegible])	1179 1175	1.915 1.976	[illegible] [illegible]	[illegible]	– –	– –	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1173/1.915 [illegible] 1173/1.915 [illegible]

प्रतिलिपि
क्रमांक [illegible]
आवेदन दिनांक [illegible]
देय दिनांक [illegible]
पटवारी [illegible]
हल्का [illegible]

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

सर्वेयर
उप वन संरक्षक
बारां

0.3500 गै.मु.श्मशान 0.3500 0.00

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- ताखा
पटवार हल्का :- मानपुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- खजूरनाकला
तहसील :- अन्ता
जिला :- बारां

सम्वत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
4	0.9600	गे.मु.रास्ता	0.9600	0.00		* नामा. स.: 232 - नि.दि.: 20/10/2014 - अन्य से ख.न. 368/2.25 हे. भूमि वनविभाग हेतु आरक्षित हुई।	
44	0.0300	गे.मु.रास्ता	0.0300	0.00			
46	0.0100	गै.मु.चबूतरा	0.0100	0.00			
47	0.0100	गै.मु. मंदिर	0.0100	0.00			
49	0.2200	गे.मु.रास्ता	0.2200	0.00			
57	0.3200	गै.मु.नाला	0.3200	0.00			
60	0.0800	बारानी तृतीय	0.0800	0.00			
65	0.1700	गे.मु.रास्ता	0.1700	0.00			
67	0.2700	गै.मु.नाला	0.2700	0.00			
69	0.1200	गै.मु.नाला	0.1200	0.00			
70	0.0900	गे.मु.रास्ता	0.0900	0.00			
78	0.1800	गै.मु.नाला	0.1800	0.00			
81	0.0800	गै.मु.नाला	0.0800	0.00			
83	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100	0.00			
85	0.1600	गै.मु.नाला	0.1600	0.00			
86	0.0200	गै.मु.बरड़ा	0.0200	0.00			
87	0.0300	गै.मु.बरड़ा	0.0300	0.00			
95	0.2600	गे.मु.रास्ता	0.2600	0.00			
97	0.0500	गै.मु.शमशान	0.0500	0.00			
102	0.2000	गै.मु.नाला	0.2000	0.00			
103	0.2100	बरानी2	0.2100	0.00			
105	0.3500	गै.मु शमशान	0.3500	0.00			
114	0.3300	गै.मु.नाला	0.3300	0.00			
115	0.2200	बरानी2	0.2200	0.00			
116/403	0.2000	बारानी तृतीय	0.2000	0.00			
132	0.0800	गे.मु.रास्ता	0.0800	0.00			
139	0.0200	गे.मु.रास्ता	0.0200	0.00			
141	0.0200	गे.मु.रास्ता	0.0200	0.00			
143	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

सर्वेयर
उप वन संरक्षक
बारां

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
144	0.0300	गे.मु.खलियान	0.0300	0.00			
145	0.0600	गे.मु.खलियान	0.0600	0.00			
146	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			
147	0.0500	गे.मु.खलियान	0.0500	0.00			
159	0.2400	गे.मु.रास्ता	0.2400	0.00			
162	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			
163	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			
164	0.0500	गे.मु.खलियान	0.0500	0.00			
165	0.0500	गे.मु.खलियान	0.0500	0.00			
166	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			
167	0.0600	गे.मु.खलियान	0.0600	0.00			
168	0.0700	गे.मु.खलियान	0.0700	0.00			
169	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00			
173	0.1100	गे.मु.धोरा	0.1100	0.00			
182	0.8700	गेमु.आबादी	0.8700	0.00			
189	0.0200	बरानी 1	0.0200	0.00			
190	0.0100	गै.मु.चबूतरा	0.0100	0.00			
191	0.1800	गे.मु.रास्ता	0.1800	0.00			
200	0.0300	गे.मु.धोरा	0.0300	0.00			
201	0.3100	गे.मु.रास्ता	0.3100	0.00			
253	0.4300	माल 2	0.4300	0.00			
254	0.5700	गै.मु.नाला	0.5700	0.00			
255	0.3900	गे.मु.रास्ता	0.3900	0.00			
256	1.2800	गे.मु.रास्ता	1.2800	0.00			
276	0.7200	गे.मु.रास्ता	0.7200	0.00			
286	0.2700	गै.मु.नाला	0.2700	0.00			
288	0.3700	गै.मु.नाला	0.3700	0.00			
292	0.1300	गै.मु.नाला	0.1300	0.00			
301	0.1500	गै.मु.नाला	0.1500	0.00			
303	0.3700	माल 2	0.3700	0.00			
305	0.2300	गे.मु.रास्ता	0.2300	0.00			
313	0.3200	गे.मु.रास्ता	0.3200	0.00			
318	0.5900	गै.मु.नाला	0.5900	0.00			
319	0.1100	बारानी तृतीय	0.1100	0.00			
326	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100	0.00			
340	0.1700	बारानी तृतीय	0.1700	0.00			
345	2.0400	बंजड़	2.0400	0.00			
346	2.2400	गै.मु.बरड़ा	2.2400	0.00			
349	0.5400	गै.मु.बरड़ा	0.5400	0.00			
350	3.7600	गै.मु.बरड़ा	3.7600	0.00			
351	0.2700	गै.मु.बरड़ा	0.2700	0.00			

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

सर्वेयर
उप वन संरक्षक
बारां

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
352	2.8900	गै.मु.बरड़ा	2.8900	0.00			
353	8.9300	गै.मु.बरड़ा	8.9300	0.00			
354	5.5000	गै.मु.बरड़ा	5.5000	0.00			
355	8.9300	गै.मु.बरड़ा	8.9300	0.00			
364	5.5000	गै.मु.बरड़ा	5.5000	0.00			
365	2.6400	गै.मु.बरड़ा	2.6400	0.00			
366	7.0600	गै.मु.बरड़ा	7.0600	0.00			
367	2.9500	गै.मु.बरड़ा	2.9500	0.00			
368	2.2500	गै.मु.बरड़ा	2.2500	0.00			
369	12.5500	गै.मु.बरड़ा	12.5500	0.00			
कुल 80	81.4400		81.4400	0.00			

खसरे -

* वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 13/10/2016

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

सर्वेयर
उप वन संरक्षक

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- बिलेण्डी
पटवार हल्का :- मानपुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- खजूरनाकला
तहसील :- अन्ता
जिला :- बारां

सम्वत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 78
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

उप वन सरक्षंक बारा (वन विभाग हेतु आरक्षित)
नामा. 190

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
114	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
149	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400	0.00			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 26/10/2016

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

सर्वेयर
उप वन संरक्षक
बारां